



बिहार सरकार

शिक्षा विभाग



आम सूचना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप एकमुश्त रु0 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

आवेदन की अंतिम तिथि : 28 फरवरी 2023

इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्तों को पूरी करती हो

(क) बिहार के स्थायी निवासी हो।

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / संस्थानों से दिनांक 31.03.2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो।

राज्य के अंगीभूत एवं मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों (खुला विश्वविद्यालय सहित) से दिनांक 31.03.2021 के उपरान्त स्नातक/ स्नातक समकक्ष उत्तीर्णता प्राप्त छात्राएँ ऑनलाईन पोर्टल :- **medhasoft.bih.nic.in/ mkuysnatak2021** पर आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाईन निर्देशों का पालन करें। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक के मोबाइल पर सूचना प्राप्त होगी।

पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा **Upload** किये गये परीक्षाफल से जाँच के उपरान्त विभाग के स्तर से राशि लाभुक के खाता में अंतरित करने की कार्रवाई की जायेगी।

योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित किसी शाखा में हो।

यदि पात्र लाभुक दिनांक 28.02.2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक 28.02.2023 के पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जायेगा।

योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाइट **Educationbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नं0 -9534547098, 8986294256 एवं ई-मेल- **mkuysnatakhelp@gmail.com** पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।



PR No.- 15201 (Education)D. 2022-23

नोट: वैसी छात्राएं जिनकी उत्तीर्णता की तिथि दिनांक-01.04.21 से 31.10.22 के बीच है।

निदेशक, उच्च शिक्षा
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

